



#OPERATIONCONVICTION



एपीओ श्री विष्णु कुमार



पैरोकार का 0 नितिन
कुमार शर्मा

#AMETHIPOLICE

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों में अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास तथा 4000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।
अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा के द्वारा दिनांक 04.02.2012 की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त द्वारा प्लान्ट के अन्दर से तांबा व लोहे के उपकरण चोरी करने की सूचना पर मु0अ0सं0 25/12 धारा 379/411 भादवि थाना कमरौली पर पंजीकृत किया गया था ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 14.11.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गई अवधि का कारावास तथा 4,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी । अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा ।

सजा का विवरण:-

अभियुक्त को जेल में बितायी गई अवधि का कारावास ।

अभियुक्त को 4,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

1. दयाशंकर गुप्ता पुत्र राम नरेश गुप्ता नि0 कठौरा थाना कमरौली जनपद अमेठी ।



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल
अमेठी